



डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोबुद्धा जिला उदयपुर

ठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आचार्य (RAS) कोटा

कदमा 8/13 सन् सीगह

नाम रेशमा पिता अर्जना जमेती बनाम बेचना पिता अर्जना जमेती

विषय गि० सावन का खाता

दावा बाबत 88 63(4) 53 92 RT Act.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी की ओर से वकील श्री वारी प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि माँजा सावन खाता पट्टा 15.05 बीघा 1/2 हिस्से का वारी रेशमा पिता अर्जना के खाते पर करतकार घोषित किया जाता है एवं जो 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बेचना पिता अर्जना के खाते पर में रखा जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख मार सन् को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

लोक अदालत, कोटा

हस्ताक्षर न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी पद कोटा जिला उदयपुर

वाद के खर्चे

Table with 6 columns: वादी, रुपये, पैसे, प्रतिवादी, रुपये, पैसे. It details the expenses for both parties, including stamp fees, lawyer fees, and court charges.

हस्ताक्षर न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी